(9)

द्वारा फैक्स

अ0शा0 पत्र संख्याःडीजी-सात-एस-3(15)/2013

अरूण कुमार
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक
(अपराध एवं कानून-व्यवस्था)
उत्तर प्रदेश
1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकःलखनऊःमई 13 ,2013

प्रिय महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के परिपत्र संख्याःएडीजी परिपत्र-02/2013 दिनांकित 21.2.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में है। मेरे संज्ञान में आया है कि विवेचना के दौरान जब विवेचक द्वारा किसी अभियुक्त के नाम की बढ़ोतरी करने या अपराध में उसकी संलिप्तता न होने के कारण विवेचना से नाम हटाने के लिए क्षेत्राधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी जाती है तो क्षेत्राधिकारी द्वारा उस रिपोर्ट पर अनुमोदित अथवा अनुमोदन नहीं, Permited या Not Permited लिख कर विवेचक को वापस कर दिया जाता है, यह उचित नहीं है। पर्यवेक्षक अधिकारी को विवेचना में सक्रिय भागीदारी करनी है।

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:-

- विवेचक द्वारा जब कभी भी अभियोग से किसी अभियुक्त का नाम हटाने अथवा अभियोग में किसी अभियुक्त का नाम बढ़ाने हेतु क्षेत्राधिकारी के पास रिपोर्ट प्रेषित की जाय तो क्षेत्राधिकारी स्पष्ट रूप से अंकित करेगें कि मैं साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात अमुक अभियुक्त का नाम बढ़ाने अथवा अभियुक्त का नाम विवेचना से निकालने से सहमत अथवा असहमत हूँ।
- यदि क्षेत्राधिकारी की टिप्पणी से विवेचक संतुष्ट न हो तो अपनी रिपोर्ट को क्षेत्राधिकारी के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक के पास भेजेगा तथा अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी विवेचना से अभियुक्त का नाम हटाने एवं बढ़ाने के संबंध में साक्ष्य विशलेषण के पश्चात स्पष्ट रूप से अभियुक्त का नाम हटाने एवं बढ़ाने के संबंध में अपनी सहमति या असहमति दी जायेगी।
- फिर भी यदि विवेचक अपर पुलिस अधीक्षक की सहमति या असहमति से संतुष्ट नहीं है तो अपनी रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। विवेचना में अभियुक्त का नाम घटाने अथवा बढ़ाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

भवदीय,

13/5/13

(अरूण कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

14/5/13